242

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 460–एक/2016 – विरूद्व– आदेश दिनॉक 11 जनवरी, 2016 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 253/2011–12 अ–6 अपील

सुरेश चन्द पुत्र छोटेलाल जैन
मृतक बारिस

1– प्रमोद पुत्र स्व.सुरेश चंद जैन
2– प्रकाश पुत्र स्व.सुरेश चंद जैन
3– शोभना पुत्री स्व.सुरेश चंद जैन
निवासी बजरंगनगर मेडीकल के पास
तहसील व जिला जबलपुर
4– सुनीता पुत्री स्व.सुरेश चंद जैन
निवासी भोजपुर तहसील मुंद्रा
जिला कच्छ, गुजरात प्रदेश

---आवेदकगण

विरूद्व

1– राजेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल जैन
निवासी गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर
2– टेक सिंह पुत्र नन्हेलाल लोधी
निवासी देवनगर पुराना तहसील
गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर
3– भूरेलाल, अरबिन्दकुमार दोनों पुत्रगण
प्रेमचंद जैन निवासी गोटेगॉव
जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिनेश चौकसे)
(अनावेदक क.1 के अभिभाषक श्री सुदीप पटैल)
(अनावेदक क.3 के अभिभाषक श्री ए0के0गौतम)
(अनावेदक क.2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

(2) निगरानी प्र0क0 460–एक/2016

आ दे श

(आज दिनॉक 28 –12 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 253 /2011–12 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सुरेश चन्द (मृतक) ने अपने जीवनकाल में अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव के समक्ष अपील कमांक 10/2011–12 अ–6 प्रस्तुत कर बताया कि मौजा देवनगर की भूमि सर्वे नंबर 9/4 रकबा 2.007 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 10/4 रकबा 0.016 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.023 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) उसके नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1982 से निरन्तर 1997 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चली आई, किन्तु रिकार्ड रूम से वर्ष 1997–98 लगायत 2002 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर पता चला कि राजस्व अभिलेख में भूमि सर्वे नंबर 9/4 रकबा 2.007 हैक्टर टेक सिंह के नाम तथा सर्वे कमांक 10/4 रकबा 0.016 हैक्टर भूरेलाल, अरबिन्द के नाम दर्ज कर दी गई है, जबकि उसके व्दारा कभी कोई भूमि विकय नहीं की है एंव अन्य व्यक्ति को बटवारे में नहीं दी है, इसलिये मौजा देवनगर की सॅशोधित पंजी कमांक 103 में पारित आदेश दिनॉक 15–4–84 के विरूद्व अपील प्रस्तुत है। अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव ने प्र0क0 10/ 2011–12 अ–6 अपील पॅजीबद्व कर पक्षकारों को श्रवणोपरांत आदेश दि. 28–11–2011 पारित किया तथा आवेदक की अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्र0क0 253/11–12 अ–6

अपील में पारित आदेश दिनांक 11–1–16 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1, 3 के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक–2 को बार बार सूचना पत्र जारी किये गये, किन्तु सम्यक सूचना के निर्वहन का अभाव पाकर पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1, 3 के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि हलका पटवारी व्दारा नामान्तरण पंजी पर वादग्रस्त भूमि का बटवारा अमल करते समय निम्नानुसार टीप अंकित की है :–

'' आवेदन पत्र के अनुसार सुरेश कुमार बल्द छोटेलाल बानिया सा. छिंदवाड़ा ने घरू आपसी बटवारा में ख.नं. 9/4 व 10/5 का कुल रकबा 2.023 लगाने 24.20 की भूमि अपने छोटे भाई राजेन्द्र कुमार बल्द छोटेलाल को करीव तीन वर्ष पूर्व दे दिये जाने से अतः नाम दर्ज किये जाने के आदेश हों। ''

उक्त टीप को किस राजस्व अधिकारी ने अनुमोदित किया है, राजस्व अधिकारी का नाम, पदमुद्रा अंकित नहीं है। विचार योग्य है कि क्या नामान्तरण पॅजी पर पर बटवारा आदेश दिया जा सकता है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 178 (1) – विभाजन की कार्यवाही केवल आवेदन पर प्रारंभ की जा सकता है – नामान्तरण पंजी पर विभाजन का आदेश नहीं दिया जा सकता। नामान्तरण पॅजी पर विभाजन का आदेश नियम एंव प्रकिया के विरूद्व है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 178 – विभाजन नियम 2, 4, 6 – नियमों में विहित प्रकिया का पालन किये बिना नामान्तरण

पंजी पर विभाजन का आदेश – ऐसा आदेश अनुचित एंव नियम विपरीत है।

3. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 178 सहपठित 110 – नामान्तरण रजिस्टर पर आपसी विभाजन के आधार पर नामान्तरण–उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं – विभाजन सूची उपलब्ध नहीं – नामान्तरण और विभाजन नियमों का पालन किये बिना परस्पर सहमति के आधार पर किया गया बटवारा और नामान्तरण प्रारंभ से ही शून्यवत् है।

स्पष्ट है कि मौजा देवनगर की सॅशोधित पंजी कमांक 103 में पारित आदेश मौजा देवनगर की सॅशोधित पंजी कमांक 103 में पारित आदेश दिनॉक 15–4–84 विधि के प्रभाव से अकृत एंव शून्यवत् कार्यवाही है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव ने आदेश दिनांक 28–11–2011 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 11–1–16 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है।

5/ मौजा देवनगर की सॅशोधित पंजी कमांक 103 में पारित आदेश दिनॉक 15–4–84 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अतिविलम्ब से प्रस्तुत अपील पर पक्षकारों के अभिभाषकों व्दारा दिये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में आये तथ्यों पर ध्यान दिये जाने पर स्थिति यह है कि जब मौजा देवनगर की सॅशोधित पंजी कमांक 103 में आदेश दिनॉक 15–4–84 से की गई बटवारा कार्यवाही नियम एंव प्रकिया के विरूद्व पाई गई है तथा मृतक सुरेश चन्द ने अपने जीवनकाल में यह तथ्य बताया है कि उसकी सहमति न होकर फर्जी हस्ताक्षर हैं – पर विचार करने इस तथ्य की पुष्टि उसके व्दारा प्रस्तुत खसरा वर्ष वर्ष 1982 से 1997 से होती है कि जब पंजी पर हुये आदेश दिनॉक 15–4–84 से भूमि सुरेश चंद के नाम के बजाय राजेन्द्र कुमार बल्द छोटेलाल को बटवारे में दे दी, वर्ष 1984 से

1997 तक राजेन्द्र कुमार का खसरे में अमल न होने के सम्बन्ध में उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके और इन्हीं कारणों से मृतक सुरेश चन्द व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। वैसे भी -

1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 47 तथा 44 (1) - समय-बर्जित अपील एंव विचार किया जा रहा आदेश अधिकारिता रहित - ऐसा आदेश किसी समय आक्षेपित किया जा सकता है।

उक्त कारणों से मृतक सुरेश व्दारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पर आधारित होने से एंव नामान्तरण पंजी पर दिया गया बटवारा आदेश नियम एंव प्रकिया के विरूद्व होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

6/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1982 से 1997 तक अकेले सुरेश चंद के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रही है तब क्या ऐसी एकल व्यक्ति की भूमि सहखातेदार न होते हुये भी नामान्तरण पंजी भरकर बटवारे में अन्य को विभाजित की जा सकती है?

भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 178 - विभाजन - केवल तब ही किया जा सकता है जब भूमि दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में अभिलिखित हो । एकल व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि विभाजित नहीं की जा सकती।

अनावेदक कमांक 1 एंव 3 के अभिभाषक उक्त सम्बन्ध में समाधान नहीं करा सके हैं , जिसके कारण मौजा देवनगर की सँशोधित पंजी कमांक 103 पर दिया गया बटवारा आदेश दिनॉक 15-4-84 एंव अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 10/2011-12 अ-6

अपील में पारित आदेश दिनांक 28–11–2011 तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 253/2011–12 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–1–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 253 2011–12 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–1–16 , अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 10/2011–12 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–11–2011 तथा मौजा देवनगर की सॅशोधित पंजी कमांक 103 पर दिया गया बटवारा आदेश दिनॉक 15–4–84 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज किया जाना आदेशित किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर